

क्र./1564 / जि.पं./स्थापना/भर्ती/MMPSY/2017 कबीरधाम, दिनांक 26 09.2017
प्रति,


महाप्रबंधक
छत्तीसगढ़ संवाद
रायपुर

विषय :- मुख्यमंत्री पंचायत सशक्तिकरण योजनांतर्गत जिला पंचायत संसाधन केन्द्र (DPRC) में रिक्त पदों की संविदा भर्ती हेतु विज्ञापन का प्रकाशन बाबत।

—:00:—


विषयान्तर्गत मुख्यमंत्री पंचायत सशक्तिकरण योजनांतर्गत जिला पंचायत संसाधन केन्द्र अन्तर्गत रिक्त पदों की संविदा भर्ती हेतु विज्ञापन संलग्न कर आपकी ओर प्रेषित हैं। कृपया विज्ञापन को प्रदेश के शहरी/ग्रामीण क्षेत्रों में सर्वाधिक पढ़े जाने वाले 02 प्रमुख राज्य स्तरीय दैनिक समाचार पत्र में न्यूनतम दर एवं आकार में विज्ञापन का प्रकाशन करने का कष्ट करें।

संलग्न :- सहपत्र.


मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत कबीरधाम

पृ.क्र. 1565 / जि.पं./स्थापना/भर्ती/MMPSY/2017 कबीरधाम, दिनांक 26 09.2017
प्रतिलिपि :-

1. अपर मुख्य सचिव, छ.ग.शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय नया रायपुर की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. आयुक्त, सह संचालक पंचायत संचालनालय इन्द्रावती भवन, नया रायपुर छ.ग. की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
3. कलेक्टर, जिला कबीरधाम की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
4. जिला रोजगार अधिकारी, जिला कबीरधाम को सूचनार्थ।
5. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, जिला कबीरधाम को सूचनार्थ एवं जिले के वेबसाईट में प्रकाशित करने हेतु पालनार्थ। संलग्न-विज्ञापन प्रति।
6. डी.पी.एम. जिला पंचायत कबीरधाम को पंचायत पोर्टल में अपलोडिंग हेतु।
7. कार्यालयीन सूचना पटल में चस्पा हेतु।


मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत कबीरधाम

कार्यालय जिला पंचायत कबीरधाम (छ.ग.)
(मुख्यमंत्री पंचायत सशक्तिकरण योजनांतर्गत जिला पंचायत संसाधन केन्द्र)
// विज्ञापन //

क्रमांक / **1567** / जि.पं. / स्थापना / भर्ती / MMPSY / 2017

कबीरधाम, दिनांक **26** / 09 / 2017

अपर मुख्य सचिव छत्तीसगढ़ शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग नया रायपुर का पत्र क्रं. 1025/पंचा/पंग्राविवि./22/2016 नया रायपुर दिनांक 27/07/2016. एवं संचालक पंचायत संचालनालय का पत्र क्रमांक/मुमंपंसयो/2016/1023 नया रायपुर दिनांक 27.07.2016 द्वारा मुख्यमंत्री पंचायत सशक्तिकरण योजना के तहत स्वीकृत पदों के भर्ती हेतु दिये गये निर्देशानुसार एवं छत्तीसगढ़ शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग नया रायपुर का आदेश क्रं./पंग्राविवि./22/492ए/2016/ 2327 नया रायपुर दिनांक 04/07/2016 तथा आयुक्त सह संचालक पंचायत संचालनालय का पत्र क्रमांक/पंचा./पंग्राविवि/22/2017/354 नया रायपुर, दिनांक 19.09.2017 द्वारा स्वीकृत पद एवं वेतन पर संविदा नियुक्ति हेतु जारी मार्गदर्शिका के तहत मुख्यमंत्री पंचायत सशक्तिकरण योजना अंतर्गत चयन हेतु शैक्षणिक अर्हता व मेरिट अंक के निर्धारण के अनुक्रम पर जिला पंचायत संसाधन केन्द्र (DPRC) हेतु जिला स्तर पर अधोलिखित पदों व उनके सम्मुख दर्शाये विवरण अनुसार निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यताएं के अर्हताधारी इच्छुक अभ्यर्थियों से दिनांक **16**/10/2017 को सायं 05:30 बजे तक निम्न नियम एवं शर्तों के अधीन आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में आमंत्रित किये जाते हैं।

पद क्र.	पद का नाम एवं आरक्षण	पद संख्या	एकमुश्त मासिक वेतन	अनिवार्य अर्हता	वांछित योग्यता	मेरिट हेतु अंक निर्धारण	
1	संकाय सदस्य (जिला स्तर पर) अना. - 01 पद	01	20342/--	1. स्नातकोत्तर/बी.ई में 55% अंक से उत्तीर्ण। 2. केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित कार्यक्रमों में प्रशिक्षण एवं क्षमता विकास कार्या अथवा प्रबंधकीय कार्यों का कम से कम 01 वर्ष का अनुभव।	अंतर्राष्ट्रीय / राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस अथवा जर्नल में शोध पत्र।	न्यूनतम अर्हता के अंको का अधिभार 75 प्रतिशत। संबंधित क्षेत्र में प्रति अंतर्राष्ट्रीय/राष्ट्रीय शोध पत्र अथवा जर्नल अथवा प्रतिवेदन परियोजना में 03 अंक (अधिकतम 15 अंक) संबंधित कार्य का अनुभव (प्रति वर्ष 02 अंक, अधिकतम 10 अंक)	75 अंक 15 अंक 10 अंक

नियम एवं शर्तें :-

- आवेदन पत्र बंद लिफाफे में मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत कबीरधाम के कार्यालय में पंजीकृत डाक से दिनांक **16** / 10 / 2017 तक कार्यालयीन समय में सायं 5.30 बजे तक अनिवार्य रूप से प्राप्त हो जाना चाहिए। निर्धारित समय सीमा पश्चात प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जावेगा तथा व्यक्तिगत रूप से भी आवेदन स्वीकार नहीं किया जावेगा।
- परिस्थितिवश एवं आवश्यकतानुसार विज्ञापित पदों की संख्या में कमी अथवा वृद्धि अथवा विज्ञापित निरस्त की जा सकती हैं। जिसके लिए किसी प्रकार का दावा/वाद मान्य नहीं किया जायेगा तथा यह अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला कबीरधाम के पास सुरक्षित रहेगा।
- दिनांक **01.07.2017** की स्थिति में आवेदकों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष एवं अधिकतम आयु 35 वर्ष हैं। महिला एवं आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को शासन के नियमानुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट की पात्रता होगी।
- आरक्षित पदों पर आवेदन करने वाले आवेदकों को जाति की पुष्टि हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति आवेदन के साथ संलग्न करना अनिवार्य है। स्थायी जाति प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति न होने के स्थिति में आरक्षण का लाभ नहीं दिया जायेगा।
- अभ्यर्थी को छ.ग राज्य का मूल निवासी होना अनिवार्य है। सक्षम अधिकारी का निवास प्रमाण पत्र संलग्न करें।
- आवेदक का रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना आवश्यक है। जिसमें न्यूनतम योग्यता के आधार पर आवेदक पंजीकृत हो। संबंधित दस्तावेज की छायाप्रति संलग्न करें।
- महिला एवं भूतपूर्व सैनिक अभ्यर्थी प्राप्त नहीं होने पर उसी प्रवर्ग के अभ्यर्थी से पद भरे जा सकेंगे।
- शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्थाओं में कार्यरत अभ्यर्थियों को अपना आवेदन पत्र उचित माध्यम से अनापत्ति प्रमाण पत्र सहित प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है।

9. संविदा नियुक्ति, सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन एफ-9-1/2012/1-3 रायपुर दिनांक 17 जनवरी 2013 द्वारा जारी छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम 2012 के अधीन होगी।
10. शासन द्वारा समय समय पर चयन के संबंध में दिशा निर्देश एवं मापदण्डों का पालन किया जायेगा।
11. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को सेवा समाप्ति पश्चात् संविदा नियुक्ति शासकीय सेवक के रूप में जितनी अवधि तक सेवा दी गई है उस अवधि के लिए किसी भी प्रकार के पेंशन, उपादान या मृत्युलाभ आदि की पात्रता नहीं होगी।
12. संविदा पर की गई नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी होगी एवं बिना कारण बताये भी समाप्त की जा सकती है।
13. अपूर्ण/अस्पष्ट एवं त्रुटि पूर्ण आवेदन पत्रों पर कोई सूचना नहीं दी जावेगी एवं आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जावेगा।
14. लिफाफे के ऊपर पदनाम एवं आरक्षण का प्रवर्ग जिसके लिए आवेदन किया जा रहा है का स्पष्ट उल्लेख किया जावे, अन्यथा आवेदन निरस्त किया जा सकता है।
15. एक से अधिक पद पर आवेदन करने की स्थिति में प्रत्येक पद हेतु पृथक-पृथक आवेदन पत्र पृथक-पृथक बंद लिफाफे में रखकर प्रेषित किया जाना अनिवार्य होगा।
16. आवेदन पत्र के साथ 25/- रुपये की टिकिट लगा हुआ दो लिफाफा जिसमें आवेदक के पत्र व्यवहार का पूर्ण पता स्पष्ट अक्षरों में लिखा हो, संलग्न करना अनिवार्य है।
17. आवेदन जिला पंचायत कबीरधाम द्वारा निर्धारित प्रारूप में ही जमा किया जावे। आवेदन में आवेदक का फोटो एवं समस्त प्रमाण पत्र एवं अंकसूची स्वयं के द्वारा सत्यापित होना आवश्यक है।
18. जन्मतिथि की सत्यता हेतु हाई स्कूल उत्तीर्ण करने की अंकसूची की अभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें।
19. यदि प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या अधिक होती है तो उच्चतर योग्यता के आधार बुलाये जाने वाले उम्मीदवारों की संख्या सीमित करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता को होगा।
20. प्राप्त आवेदन पत्रों में चयन के संबंध में अधोहस्ताक्षरकर्ता का निर्णय अंतिम व मान्य होगा।
21. आवेदन पत्र का प्रारूप एवं विस्तृत विज्ञापन जिला पंचायत कार्यालय के सूचना पटल में कार्यालयीन समय एवं दिवस पर देखी जा सकती है। इसे जिले के वेबसाइट www.kawardha.gov.in पर भी अवलोकन किया जा सकता है।


 मुख्य कार्यपालन अधिकारी
 जिला पंचायत कबीरधाम

**मुख्यमंत्री पंचायत सशक्तिकरण योजनातर्ग जिला पंचायत संसाधन केन्द्र (DPRC) कबीरधाम हेतु
विज्ञापित पदों के लिये आवेदन पत्र का प्रारूप**

प्रति,

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत कबीरधाम (छ.ग.)

आवेदक का
अभिप्रेमाणित
पासपोर्ट
साईज का
फोटो

विषय :- विज्ञापन क्रमांक दिनांक द्वारा विज्ञापित पदों में संविदा नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र।

1. आवेदित पद का नाम :-
2. आवेदक का पूरा नाम :-
3. पिता/पति का नाम :-
4. जाति (अजा/अजजा/अ.पि.ष./सामान्य) :- लिंग :- महिला/पुरुष
5. जन्मतिथि :-
6. 01/07/2017 को आयु :- दिन/माह/वर्ष
7. स्थायी पता :-

दूरभाष क्रमांक

ई-मेल (यदि हो तो)

8. पत्र व्यवहार का पता :-
9. राष्ट्रीयता :-
10. मूल निवासी/जन्म स्थान :-
11. आवेदक की शैक्षणिक योग्यता :-

क्र.	परीक्षा	बोर्ड/विश्व विद्यालय/ संस्था का नाम	वर्ष	प्राप्तांक / पूर्णांक	प्रतिशत

12. रोजगार कार्यालय का नाम एवं जीवित :-
- पंजीयन क्रमांक व दिनांक
13. अन्य योग्यता/अनुभव (प्रमाण पत्र संलग्न करें)

अनुभव संस्था का नाम	पद का नाम
अनुभव की अवधि	-
अनुभव का कार्यक्षेत्र	-

14. अन्य अनुभव एवं योग्यता :-
15. संलग्नों की सूची :-

आवेदक का हस्ताक्षर

घोषणा पत्र

मैं घोषणा करता/करती हूँ कि इस आवेदन पत्र में दिये गये सभी विवरण मेरे सर्वोत्तम विश्वास एवं जानकारी के अनुसार सत्य, पूर्ण एवं सही है एवं आवेदित पद के लिये मैं निर्धारित योग्यता रखता/रखती हूँ। मुझे जानकारी है कि इसमें दी गई कोई भी जानकारी या सूचना गलत/असत्य या अपूर्ण पायी जाने पर उक्त पद के लिये मेरी उम्मीदवारी रद्द या निरस्त की जा सकती है। इस संबंध में मुझे कोई नोटिस दिये बिना मेरी सेवाएं समाप्त की जा सकती है।

स्थान :-
दिनांक :-

आवेदक का हस्ताक्षर
(पूर्ण नाम व पता)